मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 399/2021।

1. गुरनाम सिह पुत्र लालचंद जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

--वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र प्रेम कुमार जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. उषा देवी पुत्री लालचंद पत्नी तरसेम सिह जाति कुम्हार साकिन 55 एल.एन.पी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
3. कर्मजीत कौर पुत्री लालचंद पत्नी बग्गा सिह जाति कुम्हार साकिन 3। आर.बी थर्ड तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
4. वीरपाल कौर पुत्री लालचंद पत्नी नरेश कुमार जाति कुम्हार साकिन 6 एल.एन. पी, कुंडावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर।
5. अन्ति कुमारी पुत्री लालचंद पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार साकिन बीझबायंला तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
6. कविता पुत्री लालचंद जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहांगान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

--प्रतिवादीगण

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री अनिल सिहाग़ अधिवक्ता	--- वादी
2. श्री जसपाल सिंह दहिया़ अधिवक्ता	--- प्रतिवादी सं. । ता 6
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	--- प्रतिवादी सं. 7

निर्णय

दिनांक :- 27/01/2022

वादी की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. । ता 6 की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता इस [illegible] आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी [illegible] पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया [illegible] कर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 23 जे.आर.के - ए के प.न. 29/239 के मु.न. 21 किला न. 6, 7, 11/2/.190, 12, 13 की 1.202 हैक. नहरी कृषि भूमि का खाता अलग कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested

27.01.2022
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 27/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

27.01.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested